2015 का विधेयक संख्यांक 265

[दि पेमेन्ट आफ बोनस (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015

बोनस संदाय अधिनियम, 1965
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

1965 का 21

2. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (13) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में,--

(i) "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "सात हजार रुपए या समुचित सरकार द्वारा, अनुसूचित नियोजन के लिए यथानियत न्यूनतम मजदूरी, इनमें से जो भी उच्चतर हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अनुसूचित नियोजन" शब्द का वही अर्थ होगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (छ) में उसका है ।'। 1948 का 11

धारा 38 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यन्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, नियम बना सकेगी ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कतिपय स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों को लाभों के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता के आधार पर बोनस के संदाय तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (अधिनियम) अधिनियमित किया गया था । तत्पश्चात् कई बार इस अधिनियम का संशोधन किया गया था और वर्ष 2007 में अंतिम संशोधन किया गया ।

2. अधिनियम की धारा 2 के खंड (13) के अनुसार, कर्मचारी से (शिक्षु से भिन्न) ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भाड़े या इनाम के लिए, किसी उद्योग में कोई कुशल या अकुशल शारीरिक, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासकीय, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए दस हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक वेतन या मजदूरी पर नियोजित है, चाहे नियोजन के प्रबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों । तथापि, अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का वेतन या मजदूरी तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास से अधिक हो जाती है तो ऐसे कर्मचारी को संदेय बोनस का परिकलन इस प्रकार किया जाएगा, मानो उसका वेतन या मजदूरी तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास हो ।

3. केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त अधिकतम सीमा को बढ़ाने या उसे हटाने के लिए व्यापार संघों, व्यष्टियों और विभिन्न संगमों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने बोनस के संदाय के लिए पात्रता की सीमा को दस हजार रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर इक्कीस हजार रुपए प्रतिमास बढ़ाने का विनिश्चय किया है । केन्द्रीय सरकार ने परिकलन की अधिकतम सीमा को तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर सात हजार रुपए प्रतिमास या अनुसूचित नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी, जो समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, इनमें से जो भी अधिक हो बढ़ाने का भी विनिश्चय किया है ।

4. अधिनियम की धारा 38 केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । चूंकि उक्त धारा इन नियमों के पूर्व प्रकाशन के लिए उपबंध नहीं करती है इसलिए यह श्रमिकों के कल्याण संबंधी अन्य विधानों के अनुरुप आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के प्रयोजन के लिए पूर्व प्रकाशन का उपबंध करने वाला सामर्थकारी उपबंध अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है ।

नई दिल्ली;
30 नवंबर, 2015

बंडारु दत्तात्रेय

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 बोनस के संदाय के लिए पात्रता सीमा को दस हजार रुपए से बढ़ाकर इक्कीस हजार रुपए प्रतिमास बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (अधिनियम) की धारा 2 के खंड (13) का संशोधन करने के लिए है । विधेयक का खंड 3 अधिकतम सीमा को तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर सात हजार रुपए प्रतिमास या अनुसूचित नियोजन के लिए अधिकतम मजदूरी, जो समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, इनमें से जो भी अधिक हो, बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है ।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि भारत सरकार द्वारा परिकलन की अधिकतम सीमा अंगीकृत की जाती है तो केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थापनों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के लिए और रेल कर्मचारियों तथा डाकघर कर्मचारियों को (उत्पादकता संबंधी बोनस) की बाबत अतिरिक्त व्यय तीन हजार एक सौ अठाईस करोड़ रुपए की सीमा अंतर्वलित होगा ।

3. विधेयक से कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (अधिनियम) की धारा 38 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

2. प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया नियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में उक्त नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे संबंधी विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम संख्यांक 21) से उद्धरण

* * * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

* * * * * * *

(13) "कर्मचारी" से (शिक्षु से भिन्न) ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भाड़े या इनाम के लिए, किसी उद्योग में कोई कुशल या अकुशल शारीरिक, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासकीय, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने क लिए, दस हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक वेतन या मजदूरी पर नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों ;

* * * * * * *

कतिपय कर्मचारियों की बाबत बोनस का परिकलन ।

12. जहां किसी कर्मचारी का वेतन या मजदूरी तीन हजार पांच सौ रुपए प्रति मास से अधिक हो जाती है वहां, ऐसे कर्मचारी को, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 11 के अधीन संदेय बोनस का परिकलन इस प्रकार किया जाएगा मानो उसका वेतन या मजदूरी तीन हजार पांच सौ रुपए प्रति मास हो ।

* * * * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

* * * * * * *

GMGIPMRND—3112LS(CRC)—01.12.2015